

आई. सी. आई. इंडिया लिमिटेड. और अन्य.

बनाम

ओडिशा राज्य और अन्य ।

28 सितंबर, 2007

(डॉ. अरिजीत पी. असायत और तरुण चटर्जी, जे. जे.]

उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947-खंड 5 (1), परंतुक 5-विभेदक कर, भुगतान-जब आकर्षित होता है-निर्माता बिक्री के लिए 'बल्क प्रीमिक्स' के निर्माण/प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल की खरीद-संख्या संख्या IV में घोषणा प्रस्तुत करना। कर की रियायती दर @4% का भुगतान करके-हालाँकि, 'बल्क प्रीमिक्स' को 'बल्क एक्सप्लोसिव' के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य और राज्य के बाहर अपनी अन्य इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया गया-क्षेत्र:खंड 5 (1) के प्रावधान 5 को आकर्षित किया गया-संख्या IV में घोषणा की शर्तों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि निर्मित माल नहीं बेचे गए थे-इसलिए, निर्माता बिक्री कर प्राधिकरणों के संख्या IV आदेश को प्रस्तुत करके रियायती दर पर खरीदे गए कच्चे माल पर देय अंतर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा गया है-उड़ीसा बिक्री कर नियम, 1947।

अपीलकर्ता, 'बल्क एक्सप्लोसिव्स' के निर्माण और बिक्री ने राउरकेला में अपनी बल्क इमल्शन प्रीमिक्स निर्माण इकाई की स्थापना की।इसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया था जिसमें संकेत दिया गया था कि अपीलकर्ता को बिक्री के लिए 'बल्क प्रीमिक्स' के निर्माण/प्रक्रिया के लिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करने की आवश्यकता है।अपीलकर्ता ने बिक्री के लिए अपनी राउरकेला इकाई में थोक प्रीमिक्स के निर्माण/प्रक्रिया के लिए प्रमुख कच्चा माल "अमोनियम नाइट्रेट लिकर" खरीदा और कर

की रियायती दर @4% का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र संख्या IV में घोषणा की। इस प्रकार निर्मित 'बल्क प्रीमिक्स' का उपयोग 'बल्क एक्सप्लोसिव' के निर्माण के लिए किया जाता है जो अपीलार्थी के संयंत्र में निर्मित नहीं होता है। अपीलकर्ता ने 'बल्क प्रीमिक्स' को 'बल्क एक्सप्लोसिव' के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य में और राज्य के बाहर अपनी अन्य शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया। बिक्री कर अधिकारी ने मूल्यांकन वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए मूल्यांकन आदेश पारित किया। इसने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं ने उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम 1947 और उड़ीसा बिक्री कर नियम 1947 में प्रदत्त रियायती दर का लाभ उठाने के लिए कच्चा माल खरीदते समय प्रपत्र संख्या IV में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया था और खरीदे गए कच्चे माल पर अधिनियम की खंड 5 (1) के 5 वें प्रावधान में दिए गए अंतर कर की मांग की थी। सहायक बिक्री कर आयुक्त ने आदेश को बरकरार रखा। पीड़ित, अपीलकर्ता ने रिट याचिकाएँ दायर कीं जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील।

अदालत ने याचिकाओं को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. तत्काल मामले में, कच्चा माल-'अमोनियम नाइट्रेट लिकर' का उपयोग उड़ीसा राज्य के भीतर अपीलकर्ता द्वारा 'बल्क प्रीमिक्स' नामक वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। लेकिन इस तरह से निर्मित 'बल्क प्रीमिक्स' को अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए आगे संसाधित किया जाता है। 'थोक विस्फोटक' जो निर्विवाद रूप से बिक्री के लिए था और वास्तव में बेचा जाता है। [पैरा 7] [438-ई, जी]

1.2. उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) का पांचवा प्रावधान उस उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए माल का उपयोग किया जाना है अर्थात् बिक्री के लिए माल के निर्माण/प्रसंस्करण के लिए। 5 वें परंतुक में 'उड़ीसा राज्य के भीतर'

अभिव्यक्ति का उपयोग इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग बिक्री के लिए उड़ीसा राज्य में माल के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में, 'बल्क प्रीमिक्स' के निर्माण के लिए खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। लेकिन निर्मित उत्पाद अर्थात् 'बल्क प्रीमिक्स' को बेचा नहीं गया है, लेकिन इसे उड़ीसा राज्य के अंदर और बाहर स्थित अपीलकर्ता की अन्य शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र इंगित करता है कि खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग 'बल्क प्रीमिक्स' के निर्माण में किया जाएगा। 'विस्फोटक के लिए मशीनरी' का भी उल्लेख है। यद्यपि अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वही तथ्य की गलती है और एकमात्र ऐसी चीज है जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करने का इरादा है। इकाई 'बल्क प्रीमिक्स' है, और निर्मित वस्तुओं को बेचने के बजाय, इसे 'बल्क एक्सप्लोसिव' के आगे के निर्माण के लिए अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। हस्तांतरण स्पष्ट रूप से अधिनियम की खंड 5 (1) के 5 वें परंतुक में उल्लिखित 'कोई अन्य उद्देश्य' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। चूंकि निर्मित वस्तुओं को बेचा नहीं गया है, लेकिन उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए घोषणा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और निर्धारित को कर की रियायती दर पर खरीदे गए कच्चे माल पर देय अंतर कर के भुगतान के लिए उचित रूप से उत्तरदायी माना गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

मिस. पोलस्टार इलेक्ट्रॉनिक (प्रा.) लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयुक्त, बिक्री कर और अन्य., [1978] 1 एस. सी. सी. 636; जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम. एस. टी. ओ., कानपुर और अन्य., (1965) (16) एस. टी. सी. 563 और इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम. एस. टी. ओ., (1993) 90 एस. टी. सी. 410, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1193-1194/2002

उच्च न्यायालय उड़ीसा, कटक के ओ.जे.सी.एस. सं. 16928/1998 और 1550/2000 निर्णय और आदेश दिनांकित 9.10.2001 से।

देवी प्रसाद पाल, शिबाशीष मिश्रा, प्रिया हिंगोरानी, अमन हिंगोरानी और आनंद सेन (एमआईएस के लिए हिंगोरानी एंड एसोसिएट्स) अपीलार्थियों के लिए।

प्रतिवादीओं के लिए जी. रामकृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता पर हमला करती हैं। दो रिट याचिकाएँ अर्थात् 1998 का ओ. जे. सी. 16928 और 2000 का 1500, बिक्री कर प्राधिकरणों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थीं कि अपीलकर्ताओं ने उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') और उड़ीसा बिक्री कर नियम, 1947 (संक्षेप में 'नियम') में प्रदान की गई रियायती दर का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र स. IV में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया था। पहली रिट याचिका में बिक्री कर के सहायक आयुक्त द्वारा मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन की पुष्टि करने वाले अपीलीय आदेश को चुनौती दी गई थी, जबकि दूसरी रिट याचिका में मूल्यांकन वर्ष के लिए बिक्री कर अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश को चुनौती दी गई थी।

2. अनावश्यक विवरणों के बिना पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:-

आई. सी. आई. इंडिया लिमिटेड (इसके बाद "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय आई. सी. आई. हाउस 34, चौरंगी रोड, कलकत्ता में है। यह अन्य बातों के साथ-साथ

"थोक विस्फोटकों" के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है। उड़ीसा राज्य के राउरकेला में व्यवसाय करने के उद्देश्य से, अपीलकर्ता ने प्लॉट संख्या 77, औद्योगिक संपदा, कलुंगा में एक उद्योग स्थापित किया है और बिक्री कर अधिकारी, राउरकेला-II सर्कल, पानपोश (प्रतिवादी संख्या 3) के साथ एक विक्रेता के रूप में पंजीकृत है। अधिनियम की खंड 9 के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता को बिक्री के लिए "बल्क प्रीमिक्स" के निर्माण/प्रसंस्करण के लिए "अमोनियम नाइट्रेट" का उपयोग करने की आवश्यकता है। अपीलकर्ता ने अप्रैल, 1997 में राउरकेला में अपनी तीसरी थोक इमल्शन प्रीमिक्स निर्माण इकाई की स्थापना की थी और उसे चालू किया था। "बल्क प्रीमिक्स" के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल "अमोनियम नाइट्रेट लिकर" है। उक्त कच्चे माल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारतीय इस्पात प्राधिकरण का राउरकेला इस्पात संयंत्र है (संक्षेप में 'सेल') जिससे अपीलकर्ता इसे खरीदता है। अन्य कच्चा माल या तो स्थानीय रूप से खरीदा जाता है या बिहार के गोमिया में केंद्रीय रूप से खरीदा जाता है और स्टॉक को उसके राउरकेला संयंत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। राउरकेला संयंत्र में, सभी कच्चे माल का उपयोग इमल्शन प्रीमिक्स या बल्क प्रीमिक्स के निर्माण के लिए किया जाता है, जो एक उत्पाद है। राउरकेला इस्पात संयंत्र से कच्चे माल की खरीद के लिए, अपीलकर्ता 4 प्रतिशत की दर से कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र संख्या IV में घोषणा करता है। यह पक्षों का एक स्वीकृत मामला है कि राउरकेला में इस तरह से निर्मित "बल्क प्रीमिक्स" को इस तरह से नहीं बेचा जाता है क्योंकि यह एक मध्यवर्ती उत्पाद है जिसका उपयोग "बल्क एक्सप्लोसिव" के निर्माण के लिए किया जाता है। यह "थोक विस्फोटक" अपीलकर्ता के राउरकेला संयंत्र में निर्मित नहीं है। इसलिए "बल्क प्रीमिक्स" को उड़ीसा राज्य में अंगुल (तालचेर) और बेलपहाड़ में इसकी अन्य शाखाओं में भेजा जाता है, जिसके लिए अपीलकर्ता ने बिक्री कर पंजीकरण प्राप्त किया है, जिसमें कच्चे

माल का उल्लेख "बल्क प्रीमिक्स" के रूप में किया गया है, जबकि तैयार उत्पाद का उल्लेख "बल्क एक्सप्लोसिव" के रूप में किया गया है। "बल्क प्रीमिक्स" को उड़ीसा राज्य में अपनी विभिन्न शाखाओं में भेजने के अलावा, अपीलकर्ता माल को राज्य के बाहर भी स्थानांतरित/बेचता है।

3. "बल्क एक्सप्लोसिव" के निर्माण के लिए, "बल्क प्रीमिक्स" को विशेष टैंकरों में ले जाया जाता है जो इस तरह के उद्देश्य के लिए वास्तविक विस्फोट स्थल पर ऑनसाइट समर्थन संयंत्रों से समर्पित होते हैं, जहां सामग्री अर्थात् सामग्री होती है। "बल्क प्रीमिक्स" और अन्य रसायनों को चट्टान और/या विस्फोट किए जाने वाले अन्य पदार्थों की प्रकृति के अनुपात में मिलाया जाता है। सही अनुपात में इस तरह का मिश्रण विस्फोट स्थल पर होता है और विस्फोटक होने के परिणामस्वरूप निर्माण को खदान की पीठ पर बोर छेद में छोड़ दिया जाता है। यह इस स्तर पर है कि "बल्क प्रीमिक्स" जब अन्य रसायनों के साथ मिलाया जाता है और बोर होल में छोड़ा जाता है तो विस्फोटक बन जाता है और उस स्तर पर विस्फोटकों की बिक्री होती है और "बल्क एक्सप्लोसिव" की ऐसी बिक्री पर बिक्री कर और उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता है।

4. वर्ष 1998-99 के मूल्यांकन आदेश में, मूल्यांकन अधिकारी को "अमोनियम नाइट्रेट" खरीदते समय अपीलकर्ता द्वारा दी गई घोषणा का कोई उल्लंघन नहीं मिला, हालांकि "बल्क प्रीमिक्स" को राउरकेला संयंत्र से तालचेर और बेलपहाड़, यानी उड़ीसा राज्य के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है, और इसके लिए कोई अतिरिक्त नहीं किया गया है। लेकिन, उड़ीसा राज्य के बाहर भेजे गए माल के लिए, मूल्यांकन अधिकारी का विचार था कि अपीलकर्ता ने गलत घोषणा प्रस्तुत करके अधिनियम की खंड 5 (1) के 5 वें परंतुक के प्रावधानों का उल्लंघन किया था क्योंकि निर्मित माल नहीं बेचे गए थे। हालाँकि, वर्ष 1997-98 के लिए, "बल्क प्रीमिक्स" के सभी हस्तांतरण,

चाहे वे उड़ीसा राज्य के अंदर हों या बाहर, की अनुमति नहीं दी गई थी और यह माना गया था कि अपीलकर्ता ने कच्चा माल खरीदते समय संख्या IV में दी गई घोषणा का उल्लंघन किया है। बिक्री कर के सहायक आयुक्त ने इस आदेश की पुष्टि की।

5. उसके समक्ष लिए गए प्रतिद्वंद्वी रुख पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि विचार के लिए जो एकमात्र प्रश्न उत्पन्न हुआ वह यह था कि क्या घोषणा के बल पर बिक्री के लिए "बल्क प्रीमिक्स" के निर्माण/प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल खरीदने वाले अपीलकर्ता को घोषणा का उल्लंघन करने के लिए कहा जा सकता है जब "बल्क प्रीमिक्स" को "बल्क एक्सप्लोसिव" के निर्माण के लिए इसकी विभिन्न शाखाओं में स्थानांतरित किया गया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बिक्री कर प्राधिकरणों ने 4 प्रतिशत की दर से रियायती कर का भुगतान करके प्रपत्र 4 में घोषणा प्रस्तुत करके खरीदे गए कच्चे माल (अमोनियम नाइट्रेट) पर अधिनियम की खंड 5 (1) के 5 वें प्रावधान के अनुसार अंतर कर की मांग करना उचित था। तदनुसार रिट आवेदनों को खारिज कर दिया गया।

6. अपीलों के समर्थन में डॉ. डी. पी. पाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या कच्चा माल यानी. "अमोनियम नाइट्रेट लिकर" का उपयोग राउरकेला कारखाने में "बल्क प्रीमिक्स" के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था? इस तरह का "बल्क प्रीमिक्स" निर्विवाद रूप से "बल्क एक्सप्लोसिव" के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल है। ऐसे उत्पाद बिक्री के लिए थे और वास्तव में बेचे जाते थे। भले ही "बल्क प्रीमिक्स" को अंतिम उत्पाद के निर्माण में आगे उपयोग करने के लिए उड़ीसा राज्य के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। "थोक विस्फोटक", अधिनियम की खंड 5 (1) के 5 वें प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं है। कर की रियायती दर पर खरीदी गई कच्चा माल निम्नलिखित शर्तों पर पूर्ण दर पर कर के लिए उत्तरदायी होगा:

(1) विक्रेता को एक पंजीकृत विक्रेता होना चाहिए।

(2) माल या माल के वर्ग को उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि वह बिक्री के लिए माल के निर्माण/प्रसंस्करण में उड़ीसा राज्य के भीतर उपयोग के लिए अभिप्रेत है।

(3) इस प्रकार निर्मित वस्तुओं को बेचा जाना चाहिए।

(4) क्रय विक्रेता को प्रपत्र स. IV में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

यदि इस प्रकार खरीदे गए माल का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है या उड़ीसा राज्य के बाहर उपयोग किया जाता है, तो विक्रेता माल पर अंतर कर का भुगतान करेगा।

7. यह बताया गया कि कच्चे माल पर कोई विवाद नहीं है। "अमोनियम नाइट्रेट लिकर" का उपयोग उड़ीसा राज्य के भीतर अपीलकर्ता द्वारा "बल्क प्रीमिक्स" नामक वस्तुओं के निर्माण में किया गया है। लेकिन इस तरह से निर्मित "बल्क प्रीमिक्स" को अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए आगे संसाधित किया जाता है। "थोक विस्फोटक" जो निर्विवाद रूप से बिक्री के लिए था और वास्तव में बेचा जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून की आवश्यकता नहीं है कि बिक्री के लिए अंतिम उत्पाद उड़ीसा राज्य के भीतर बेचे जाने चाहिए। मेसर्स पोलस्टार इलेक्ट्रॉनिक (प्रा. लि.) के पैराग्राफ 11 और 18 पर भरोसा रखा गया है। लिमिटेड वी. अतिरिक्त आयुक्त, बिक्री कर और एक अन्य (1978) 1 एस. सी. सी. 636 तर्क का समर्थन करने के लिए। जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम एस. टी. ओ., कानपुर और एक अन्य (1965 (16) एस. टी. सी. 563) जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'केंद्रीय अधिनियम') की खंड 8 (3) (बी) में दिखाई देने वाली "वस्तुओं के निर्माण में" अभिव्यक्ति के अर्थ से संबंधित है, जो अपीलकर्ता के अनुसार अधिनियम की खंड 5 (1)

के 5 वें परंतुक के समान है। इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है। एस. टी. ओ. (1993) 90 एस. टी. सी. 410) इस उद्देश्य के लिए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक माल, यानी मध्यस्थ उत्पाद उड़ीसा राज्य के भीतर निर्मित होते हैं, लेकिन अंतिम उत्पाद के निर्माण में या तो उड़ीसा राज्य में या बाहर उपयोग किए जाते हैं, तब तक कच्चे माल का उपयोग बिक्री के लिए माल के निर्माण के लिए किया गया है, और अधिनियम की खंड 5 (1) के 5 वें प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं है।

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य और उसके अधिकारियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा देखी गई तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि खंड 5 (1) का 5 वां परंतुक स्पष्ट रूप से आकर्षित है। उक्त प्रावधान कर रियायत से संबंधित है। जब दावा रियायतों पर विचार किया जा रहा हो, तो इन प्रावधानों का सख्ती से अर्थ निकाला जाना चाहिए। अपीलकर्ता "थोक विस्फोटक" के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में है, जिसके उड़ीसा में कई उपयोग हैं। "पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार बल्क प्रीमिक्स का उपयोग "बल्क एक्सप्लोसिव" के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। हालांकि, जहां तक राउरकेला इकाई का संबंध है, कंपनी के पास पंजीकरण का अलग प्रमाण पत्र है और यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता इस इकाई में केवल "बल्क प्रीमिक्स" का निर्माण करता है। पंजीकरण प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग "बल्क प्रीमिक्स" के निर्माण में किया जाएगा। हालांकि प्रमाणपत्र में उच्च न्यायालय के समक्ष "विस्फोटकों के लिए मशीनरी" के बारे में भी उल्लेख किया गया था, यह स्वीकार किया गया था कि यह एक गलती है और निर्धारित राउरकेला इकाई में "थोक विस्फोटक" का निर्माण नहीं करता है। इस प्रकार अपीलकर्ता मुख्य रूप से उड़ीसा में सेल और बिहार में अन्य कच्चे माल से कच्चा माल खरीदता है और अपनी राउरकेला इकाई

में "बल्क प्रीमिक्स" का निर्माण करता है। निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता ने कर की रियायती दर यानी 4 प्रतिशत के लिए प्रपत्र 4 में घोषणा की। मान लीजिए कि अपीलकर्ता ने अपने द्वारा निर्मित "बल्क प्रीमिक्स" को नहीं बेचा और इसका उपयोग स्टॉक हस्तांतरण के बाद उड़ीसा और राज्य के बाहर अन्य इकाइयों में "बल्क एक्सप्लोसिव" के निर्माण के लिए किया जाता है।

9. राजस्व द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि "बिक्री के लिए माल" के निर्माण/प्रक्रिया में खरीदी गई वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया जाता है। "बल्क प्रीमिक्स" को नहीं बेचने और इसके बजाय बिक्री के लिए "बल्क एक्सप्लोसिव्स" के निर्माण के लिए स्टॉक हस्तांतरण को प्रभावित करने से, खंड 5 (1) के 5 वें परंतुक के पहले अंग का स्पष्ट उल्लंघन होता है और इसलिए परंतुक का दूसरा अंग आकर्षित होता है जिससे निर्धारित माल पर अंतर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

10. धारा 5 (1) का पहला परंतुक केंद्रीय अधिनियम की खंड 8 (3) से वैचारिक रूप से अलग है। जबकि अधिनियम में "उड़ीसा राज्य के भीतर" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था, केंद्रीय अधिनियम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यह अपरिहार्य है क्योंकि केंद्रीय अधिनियम के संबंध में, बिक्री राज्य के बाहर होनी चाहिए। 5 वें परंतुक में "उड़ीसा राज्य के भीतर" अभिव्यक्ति का उपयोग इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग बिक्री के लिए उड़ीसा राज्य में माल के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए।

11. सूची-सी के प्रवेश क्रम संख्या 48 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"माल की खरीद करने वाले पंजीकृत व्यापारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के सामान, जो उसके द्वारा बिक्री के लिए माल

के निर्माण या प्रसंस्करण या पैकिंग में या खनन में या बिजली के उत्पादन या वितरण में या किसी अन्य रूप में उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं, बशर्ते कि खरीद पंजीकृत व्यापारी या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा संख्या IV में सही घोषणा प्रस्तुत की जाए।

12. अधिनियम की खंड 5 (1) का 5 वां परंतुक इस प्रकार है:-

"5. कर की दर-(1) इस अधिनियम के तहत एक व्यापारी द्वारा देय कर उसके कर योग्य कारोबार पर ऐसी दर से लगाया जाएगा, जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों के अधीन होगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे:

XXX XXX

बशर्ते कि जहां कोई पंजीकृत व्यापारी अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट वर्ग या वर्गों की वस्तुओं को खरीदता है जो उसके द्वारा उड़ीसा राज्य के भीतर बिक्री या खनन के लिए माल के निर्माण या प्रसंस्करण में या बिजली के उत्पादन या वितरण में 5 की रियायती दर से या निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत करने के बाद कर से मुक्त बिजली या किसी अन्य रूप में उपयोग करने के लिए अभिप्रेत है, लेकिन उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या उड़ीसा राज्य के बाहर करता है, तो वह कर या कर में अंतर का भुगतान करेगा, जो भी मामला हो, देय हो, यदि उसने घोषणा प्रस्तुत नहीं की होती।

13. संख्या IV, जो कर योग्य वस्तुओं की सूची में जोड़ा गया है, निम्नलिखित

भाषा में है:-

"मे/हम इस प्रकार घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा नकद मेमो/बिल संख्या..... दिनांक से.....का.....में खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग खनन/उत्पादन या बिजली के वितरण या बिजली के किसी अन्य रूप में बिक्री के लिए वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण या पैकिंग में किया जाएगा।

विक्रेता/अधिकृत अभिकर्ता "।

14. धारा 5 (1) का 5 वां परंतुक उस उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए माल का उपयोग किया जाना है अर्थात् बिक्री के लिए माल के निर्माण/प्रसंस्करण के लिए। तत्काल मामले में "बल्क प्रीमिक्स" के निर्माण के लिए खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। लेकिन निर्मित उत्पाद अर्थात् "बल्क प्रीमिक्स" को बेचा नहीं गया है, लेकिन इसे उड़ीसा राज्य के अंदर और बाहर स्थित अपीलकर्ता की अन्य शाखाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है।

15. जैसा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र के ऊपर उल्लेख किया गया है कि खरीदे गए कच्चे माल का उपयोग "बल्क प्रीमिक्स" के निर्माण में किया जाएगा। "विस्फोटक के लिए मशीनरी" के बारे में भी उल्लेख है। यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यही तथ्य की गलती है और केवल एक चीज जिसे राउरकेला में पेश करने का इरादा है वह है "बल्क प्रीमिक्स", यह स्वीकार किया जाता है कि निर्मित "बल्क प्रीमिक्स" को बेचा नहीं गया था, बल्कि अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा गया था। "थोक विस्फोटक"। यह स्थिति वास्तव में भारतीय एल्यूमीनियम के मामले (उपरोक्त) में विचाराधीन स्थिति से अलग है क्योंकि अपीलकर्ताओं ने निर्मित वस्तुओं को बेचने के बजाय इसे "थोक विस्फोटक" के आगे के निर्माण के लिए अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया था। हस्तांतरण स्पष्ट रूप से

अधिनियम की खंड 5 (1) के 5 वें परंतुक में उल्लिखित "कोई अन्य उद्देश्य" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। चूंकि निर्मित वस्तुओं को बेचा नहीं गया है, लेकिन उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए घोषणा की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और निर्धारिती को कर की रियायती दर पर खरीदे गए कच्चे माल पर देय अंतर कर के भुगतान के लिए उचित रूप से उत्तरदायी माना गया है, जिसका भुगतान संख्या IV प्रस्तुत करके 4 प्रतिशत किया गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने इस बारे में कुछ टिप्पणी की थी कि यदि अपीलकर्ता के पंजीकरण प्रमाण पत्र में अंतिम उत्पाद का उल्लेख किया गया होता तो क्या परिणाम होता।

16. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां गलत हैं। हालाँकि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपने रुख का समर्थन करने के लिए अवलोकन का उल्लेख किया, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उक्त दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है क्योंकि यह वास्तव में वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए नहीं आता है।

17. अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

एन.जे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।